

समाचार पत्र का
← नाम- हिन्दुस्तान
प्रकाशन तिथि-26/09/24

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा
प्रेस विज्ञप्ति

निदेशानुसार एतद द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा के न्यायालय में समय पर उचित पैरवी नहीं करने के कारण लबित वादों की संख्या 1024 लबित है। वाद दायर करने वाले वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाता है कि न्यायालय में अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ताकि लबित वादों की सुनवाई कर उसे निष्पादित किया जा सके। वाद में रूचि नहीं लेने पर तीन तिथियों के बाद समाप्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त के न्यायालय में लबित सभी वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिसे आयुक्त के न्यायालय सारण प्रमण्डल, छपरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट (<https://sarandivision.bih.nic.in>) पर सभी वादी/ प्रतिवादीगण एवं संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहजतापूर्वक देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमण्डल छपरा

PR. No. 009123 (LAW) 2024-25

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नरो से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा
प्रेस विज्ञप्ति

निदेशानुसार एतद द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा के न्यायालय में समय पर उचित पैरवी नहीं करने के कारण लबित वादों की संख्या 1024 लबित है। वाद दायर करने वाले वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाता है कि न्यायालय में अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ताकि लबित वादों की सुनवाई कर उसे निष्पादित किया जा सके। वाद में रूचि नहीं लेने पर तीन तिथियों के बाद समाप्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त के न्यायालय में लबित सभी वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिसे आयुक्त के न्यायालय सारण प्रमण्डल, छपरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट (<https://sarandivision.bih.nic.in>) पर सभी वादी/ प्रतिवादीगण एवं संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहजतापूर्वक देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमण्डल छपरा

PR. No. 009123 (LAW) 2024-25

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नरो से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

← प्रभात खबर
26.09.2024

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा
प्रेस विज्ञप्ति

निदेशानुसार एतद द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा के न्यायालय में समय पर उचित पैरवी नहीं करने के कारण लबित वादों की संख्या 1024 लबित है। वाद दायर करने वाले वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाता है कि न्यायालय में अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ताकि लबित वादों की सुनवाई कर उसे निष्पादित किया जा सके। वाद में रूचि नहीं लेने पर तीन तिथियों के बाद समाप्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त के न्यायालय में लबित सभी वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित की गई है, जिसे आयुक्त के न्यायालय सारण प्रमण्डल, छपरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट (<https://sarandivision.bih.nic.in>) पर सभी वादी/ प्रतिवादीगण एवं संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहजतापूर्वक देखा जा सकता है।

आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमण्डल छपरा

PR. No. 009123 (LAW) 2024-25

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नरो से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

← The Times of India
26.09.2024